बिहार सरकार

समाहरणालय, नवादा

नवादा – 805110

(खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय)

आदेश

केंद्र सरकार द्वारा रब्बी विपणन मौसम 2017–18 के लिए 5(पांच) लाख मे0टन गेहूँ की अधिप्राप्ति (न्युनतम समर्थन मूल्य पर क्रय) का न्युनतम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आवश्यक है कि इस वर्ष राज्य अंतर्गत गेहूँ की उत्पादकता अधिक होने के फलस्वरूप पंजीकृत किसानों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।साथ ही यह सुनिश्चित हो सके कि अधिप्राप्ति वर्ष में गेहूँ का क्रय पंजीकृत किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके। रब्बी विपणन मौसम 2017–18 में पूर्व वर्षो की भांति गेहूँ की अधिप्राप्ति विकेन्द्रीकरण अधिप्राप्ति (DCP) व्यवस्था के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। जिसके अंतर्गत अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ का उपयोग राज्य के नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के माध्यम से राज्य के लाभुकों को वितरण किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष भी अधिप्राप्ति के अभियान को निर्वाचन कार्य से सदृश प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। रब्बी विपणन मौसम 2017–18 के लिए भारत सरकार के पत्रांक संख्या– 4(1)/2016-Py.I दिनांक 24.11.16 द्वारा गेहूँ के लिए न्युनतम समर्थन मूल्य 1625/–रू0 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम दिनांक 10.04.2017 से 31.07.2017 तक प्रभावी रहेगा।

2. अधिप्राप्ति कार्यक्रम की मुख्य विशेषतायें

- रब्बी विपणन मौसम 2017–18 अंतर्गत गेहूँ की अधिप्राप्ति पूर्व व्यवस्था के तहत विकेन्द्रीकरण अधिप्राप्ति (DCP) योजना के माध्यम से किया जायेगा।
- अधिप्राप्ति किये गये गेहूँ राज्य के नोडल एजेंसी बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा उसकी गुणवत्ता की जाचं कर उक्त गेहूँ का उपयोग भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली व्यवस्था अंतर्गत किया जायेगा।
- अधिप्राप्ति कार्य हेतु राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।
- किसानों से गेहूँ क्रय की अधिप्राप्ति सहकारिता विभाग अंतर्गत कार्यरत पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा संचालित क्रय केंद्र के माध्यम से किया जाना है।
- राज्य के किसानों को गेहूँ की अधिप्राप्ति के परिपेक्ष्य में भुगतान आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से संबंधित क्रय केंद्र पर ही तत्काल (48 घंटों के अंदर) भुगतान किया जायेगा।
- पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा स्थापित क्रय केंद्रों में किसानों की ऑन लाईन संधारित सूची के आधार पर राज्य के पंजीकृत किसानों से गेहूँ की अधिप्राप्ति की जायेगी।
- किसानों से गेहूँ का क्रय संबंधित किसानों से स्वअभिप्रमाणित प्रामण पत्र प्राप्त कर प्रति किसान अधिकतक सीमा 150 (एक सौ पचास) क्विंटल तक निर्धारित रहेगी ताकि सीमान्त एवं लघु किसानों को न्यनूतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक मिल पायें।
- वैसे किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते है, वे संबंधित किसान सलाहकार/वार्ड सदस्य से दूसरे के जमीन पर खेती करने से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे तथा ऑनलाईन पंजीकरण कराने के पश्चात उनसे अधिकतम 50 क्वींटल गेहूँ की अधिप्राप्ति की जाएगी।
- किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण आधारित डाटाबेस पर ही किसाानें से गेहूँ क्रय किया जायेगा। नोडल एजेन्सी द्वारा तैयार अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर पर किसानों का ऑनलाईन डाटाबेस संधारित होगा। सहकारिता विभाग एवं कृषि विभाग के समन्वयन से किसानों का डाटाबेस-तैयार किया जायेगा, जिसका स्क्रीनिंग कराकर वेबसाईट पर अपलोड होगा। छुटे हुए किसानों अथवा संशोधित इच्छुक किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण वसुधा केन्द्रों के माध्यम से भी किया जायेगा,जिसमें किसनों के जमीन से संबंधित कागजात एवं परिचय पत्र से संबंधित कागजात स्कैन कर आवेदन के साथ अपलोड होगा एवं उक्त हार्ड कॉपी की एक प्रति स्वहस्ताक्षरित कर

क्रय केन्द्रों एंव सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जो उसका सत्यापन कराकर authenticate करेंगे। सहकारिता पदाधिकारी इसमें मुख्य भूमिका का निर्वहन करेंगे एवं राज्य खाद्य निगम आवश्यक तकनीकी सहयोग करेगी।

- गेहूँ अधिप्राप्ति एवं विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति का कार्य भार सरकार के निदेशानुसार Online Procurement Management System (OPMS) के माध्यम से संपन्न होगा एवं दैनिक प्रतिवेदन सहकारिता विभाग को भेजने के साथ राज्य खाद्य निगम को भेजा जायेगा एवं एक प्रति एफ0सी0आई0 के जिला कार्यालय/ क्षेत्रीय प्रबंधक को भी उपलब्ध कराया जयेगा। साथ ही उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति ऑनलाईन के माध्यम से खाद्य एवं उपभाक्ता संरक्षण विभाग को भी उपलब्ध करायी जाएगी।
- नोडल एजेंसी के रूप मे राज्य खाद्य निगम अधिप्रप्ति सॉफ्टवेयर के माध्यम से गेहूँ क्रय, भुगतान का कार्य चरणबद्ध रूप में सम्पन्न करेगी।
- राज्य सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय का अक्षरशः अनुपालन हेतु इस जिले मे निम्नांकित व्यवस्था अनिवार्य रूप से दिनांक 10.04.2017 के पूर्व कर ली जाय।

3 लक्ष्य का निर्धारण

इस वर्ष राज्य में गेहूँ अधिप्राप्ति की संभावना 5.00(पॉच) लाख मे0टन व्यक्त की गयी है,जिसका शत–प्रतिशत अधिप्राप्ति पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा किया जाना है।

सम्यक् विचारोपरांत रब्बी विपणन मौसम 2017–18 अंतर्गत जिलावार निर्धारित अधिप्राप्ति की संभावित मात्रा इस पत्र के साथ संलग्न है। जिला कृषि पदाधिकारी,नवादा से जिला के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध प्रखंडवार/पंचायतवार निर्धारित लक्ष्य संबंधित विवरणी **परिशिष्ट– I** पर संलग्न। विवरणी के अनुसार जिलान्तर्गत अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यकतानुसार पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा पर्याप्त तैयारी की जा सके। उल्लेखनीय है कि गेहूँ अधिप्राप्ति का यह लक्ष्य न्युनतम है,इस लक्ष्य से अधिक अधिप्राप्ति भी की जा सकती है।

4 क्रय केंद्रों का निर्धारण

रब्बी विपणन मौसम 2017–18 अंतर्गत किसानों से गेहूँ का क्रय मुख्य रूप से पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा एक–एक क्रय केंद्र की स्थापना की जायेगी। मूल रूप से क्रय केंद्र स्थापित करने की जिम्मेदारी सहकारिता (पैक्स/व्यापार मंडल) विभाग की है। आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके जिले में संचालित सभी क्रय केद्रों में निम्नांकित तैयारियां पूरी कर ली गई हैः–

- क्रय केंद्र हेतु प्रतिदिन अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुरूप भंडारण हेतु गोदाम की समुचित व्यवस्था।
- माप–तौल यंत्र की व्यवस्था।
- Moisture Meter की व्यवस्था।
- पर्याप्त रोशनी/विद्युत की व्यवस्था।
- मापदंड के अनुरूप दक्ष एवं योग्य कर्मियों की व्यवस्था।
- पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था।
- प्रत्येक दिन किसानों से प्राप्त किये गये गेहूँ को निर्धारित बेस गोदाम पर पहूंचाने हेतु परिवहन की व्यवस्था।
- विहित प्रक्रिया के अनुरूप पंजियों का संधारण।
- किसानों को RTGS/NEFT के माध्यम से अविलंब (48 घंटों के अंदर) भुगतान हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का पदस्थापन।
- पैक्स एवं निगम क्रय केंद्र द्वारा प्रतिदिन किये गये अधिप्राप्ति कार्यो की निर्धारित प्रपत्र में संक्षिप्त विवरणी अधिप्राप्ति सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन/Ms-Excel,Kurti Dev 010 के माध्यम से प्रखंड/जिला/मुख्यालय को भेजने की व्यवस्था की जायेगी।

- पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा स्थापित क्रय केंद्रों में किसानों की सूची का संधारण
- पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा अभियान चलाकार मात्र अधिप्राप्ति हेतु गेहूँ की खेती करने वाले किसानों का नामांकन।
- कृपया यह सुनिश्चित करे कि जिले में उपयुक्त तैयारियों के साथ 10.04.2017 से निर्धारित गेहूँ अधिप्राप्ति/क्रय केंद्र पूर्ण रूप से कार्यरत/क्रियाशील हो जाय।

5 भंडारण की व्यवस्था

बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा बाजार समिति प्रांगण में गोदाम/कैंप भंडारण की व्यवस्था की जाती रही है। पूर्व में दिये गये निदेश के अनुसार जिले में अवस्थित बाजार समिति प्रांगण में उपलब्ध गोदाम,आद्योगिक क्षेत्र के प्रागंण क्षेत्र में अवस्थित गोदाम,टाउन हॉल,खाली पड़े बिहार राज्य वित्त निगम एवं अन्य संस्थाओं के गोदाम/कोल्ड स्टोरेज तथा बड़े–बड़े निजी गोदामों का सर्वेक्षण कराकर इसे भंडारण हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। अगर राज्य खाद्य निगम को निर्धारित दर पर निजी गोदाम उपलब्ध नहीं होता है तो उन गोदामो का किराया संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी–सह–गृह नियंत्रण पदाधिकारी के माध्यम से निर्धारित कराकर प्रबंधक राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध करायेगी। तदनुसार राज्य खाद्य निगम द्वारा निजी गोदामों के किराये का भुगतान किया जायेगा। जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम,नवादा यह सुनिश्चित कर ले कि 10.04.2017 के पूर्व चिन्हित भंडारण स्थल/गोदाम पर निम्नांकित तैयारियां पूरी कर ली हैः–

गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु क्रियाशील सभी एजेंसीज के सभी गोदामों पर निम्न व्यवस्था रहेगीः–

- निर्धारित मापदंड के अनुरूप गुणवता जॉच की व्यवस्था एवं ड्रेनेज मटेरियल की उपलब्धता।
- निर्धारित मापदंड के अनुरूप तारपोलिन/तिरपाल की उपलब्धता।
- निर्धारित मापदंड के अनुरूप नाइलन की रस्सी।
- घेराबंदी अगर पूर्व से उपलब्ध न हो।
- कैंप कार्यालय की व्यवस्था।
- पर्याप्त रोशनी(लाईटिंग) की व्यवस्था।
- अग्नि शामक यंत्र की व्यवस्था।
- सुरक्षा की व्यवस्था।
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप योग्य कर्मियों की उपलब्धता।
- निर्धारित माप दंड के अनुरूप पंजियों का संधारण।
- प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्र में Ms-Excel,Kurti Dev 010 के माध्यम से प्रतिवेदन तैयार कराकर प्रखंड/अनुमंडल कार्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था।

6 भुगतान की व्यवस्था

कृपया यह सुनिश्चित करें कि सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप सभी पंजीकृत किसानों को क्रय किय गये गेहूँ (एम.एस.पी.) के समतुल्य राशि का ऑन लाईन आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी के माध्यम से 48 घंटों के अंदर भुगतान किया जायेगा। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जायः–

- पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा क्रय किये गये गेहूँ का ऑन लाईन भुगतान आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से पंजीकृत किसानों को क्रय के तुरंत बाद (48 घंटों के अंदर) किया जाना है इसलिए किसी भी स्थिति में राज्य के किसानों का भुगतान लंबित नही रखा जाएगा तथा भुगतान की सूचना एस0एम0एस0 के माध्यम से किसानों को उसके पंजीकृत मोबाईल पर दिया जायेगा।
- क्रय केंद्रों द्वारा गेहूँ अधिप्राप्ति के आधार पर क्रय केंद्रों से प्राप्त प्रमाण पत्र एवं विपत्रों की जांच कर 7 दिनों के अंदर सुनिश्चित करते हुए पैक्सों/व्यापार मंडलों के खाते में सीधे आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी के माध्यम से ऑन लाईन भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

7 रब्बी विपणन मौसम 2017–18 हेतु प्रशासनिक प्रबंधन

- विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति में उच्च पारदर्शिता एवं ई–गवर्नेस की अनिवार्यता को ध्यान में रखकर अधिप्राप्ति की पूरी प्रक्रिया–गेहूँ क्रय,भुगतान आदि कम्प्युटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी।
- अधिप्राप्ति के सभी क्रय केंद्र Digitized होगें एवं Procurement Software पर–ऑन–लाईन कार्य होगें। किसान एवं पैक्स/व्यापार मंडल का डाटा बेस तैयार होगा। डाटाबेस के कागजातों को जमा करने की जटिलता से किसानों को राहत मिलेगी एवं बिचौलियों पर अंकुश लगेगा।
- वर्ष 2017–18 के अधिप्राप्ति हेतु केंद्र सरकार के प्रस्तावित MOU शर्त के अनुसार अधिप्राप्ति-कार्यक्रम के दौरान क्रय किये गये गेहूँ एवं उस परिपेक्ष्य में भुगतान आदि का Online Daily Reporting बाध्यकारी होगा। रब्बी विपणन मौसम 2017–18 अंतर्गत अधिप्राप्ति कार्य के Digitization से अधिप्राप्ति आंकड़ों की विश्वसनियता एवं शुद्वता के अतिरिक्त समय–समय पर प्रतिवेदनों के आधार पर सरकार के स्तर से आवश्यक मार्गदर्शन का प्रेषण सुनिश्चित हो सकेगा।

8 जिला स्तर पर प्रबंधन/अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था:–

जिला स्तर पर प्रबंधन/अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जाय:–

- रब्बी विपणन मौसम 2017–18 अंतर्गत जिला स्तर पर गेहूँ/ अधिप्राप्ति कार्य की अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु **श्री नंदकिशोर चौधरी भुमि उप समाहत्ता ,नवादा** की पूर्णकालिक प्रतिनियुक्ति की जाती है। वे स्वयं जिला अंतर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निरीक्षण करना सुनिश्चित करेगें ताकि गेहूँ अधिप्राप्ति में पारदर्शिता बनी रहे।
- अनुमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व होग कि वे प्रतिदिन अपने अनुमंडल अंतर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति की पूर्ण समीक्षा कर प्रतिवेदन Ms-Excel,Kurti Dev 010 के माध्यम से जिला पदाधिकारी को भेजेंगे।

प्रत्येक प्रखंड में अधिप्राप्ति कार्य के नियमित अनुश्रवण/ पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु **परिशिष्ट–II** के अनुसार जिला के सभी प्रखण्डों के **वरीय प्रभारी पदाधिकारी** को प्रतिनियुक्त एवं प्राधिकृत किया जाता है।

9 पैक्स/व्यापार मंडल के क्रय केंद्र पर Enforcement Officer की प्रतिनियुक्ति :–

- प्रखण्डों के प्रभारी वरीय पदाधिकारी Enforcement देने हेतु प्राधिकृत किये जाते है।-कार्य में सहयोग हेतु **संबंधित प्रखण्डों** के अंचल अधिकारी को प्रतिनियुक्त एवं प्राधिकृत किया जाता है।
- पैक्स/व्यापर मंडलों द्वारा किसानों से गेहूँ क्रय करने के पश्चात उसे राज्य खाद्य निगम के अनुमंडल स्तर पर स्थापित गेहूँ संग्रहण केंद्रों पर सुपूर्द करने हेतु Enforcement Officer की प्रतिनियुक्ति जिला सहकारिता पदाधिकारी नवादा करेगें एवं टास्क फोर्स की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करेंगे। राज्य खाद्य निगम के गेहूँ संग्रहण केंद्र प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे Enforcement Certificate प्राप्त कर लें। पैक्स/व्यापर मंडल द्वारा किसानों से खरीदे गेहूँ से संबंधित कागजात ही राज्य खाद्य निगम के गेहूँ संग्रहण केंद्र प्रभारी को उपलब्ध कराया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा किसानों Enforcement Certificate को देन के लिए बाध्य नहीं किया जाय।

10 पैक्स/व्यापार मंडलों से गेहूँ प्राप्त करने हेतु रोस्टर की व्यवस्था

- बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा पैक्स/व्यापार मंडलों से गेहूँ लेने के लिए पैक्स/व्यापार मंडलों का रोस्टर तैयार कर लिया जाय ताकि पैक्स/व्यापार मंडलों को यह जानकारी रहें कि किस तिथि को उन्हे राज्य खाद्य निगम के गेहूँ संग्रहण केंद्र पर गेहूँ प्रहुँचाना है। इस व्यवस्था को इस प्रकार लागु किया जाय कि राज्य खाद्य निगम के गेहूँ संग्रहण केंद्रों पर अनावश्यक रूप से भीड़ नही लगे एवं पैक्स /व्यापार मंडल सुगमतापूर्वक बिना कठिनाई के राज्य खाद्य निगम के गोदामों पर गेहूँ की

सुपूर्दगी कर सकें। अनुपालन हेतु रोस्टर जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, नवादा संधारित कर टास्क फोर्स की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करेंगें।

11 गेहूँ क्रय केंद्र पर किसानों से प्राप्त किये जाने वाले काजगात

a. भूमि संबंधी दस्तावेज-अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र/हाल का माल गुजारी रसीद/किसान क्रेडिट कार्ड-इनमें से कोई एक। राजस्व रसीद/भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र की संभावित जालसाजी को रोकने के लिए प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी के हस्ताक्षर का नमूना निगम क्रय केंद्र/पैक्स क्रय केन्द्र को उपलब्ध कराया जायेगा। यह भी सुनिश्चित हो कि एल0पी0सी0 अंचल कार्यालय से निर्गत हो तथा उसपर ज्ञापांक एवं दिनांक अंकित होना अनिवार्य होगा साथ ही उसकी एक प्रति अंचल कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। किसनों द्वारा समर्पित सभी दस्तावेज स्वअभिप्रमाणित होना आवश्यक है। ऑनलाईन पंजीकरण कराने में किसी तरह की कठिनाई होने पर प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/सहायक निबंधक,सहयोग समितियां एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

b. किसानों का फोटोयुक्त पहचान पत्र मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की छायाप्रति/किसान क्रेडिट कार्ड की छायाप्रति/ड्राइविंग लाईसेंस एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज-इनमें से कोई एक।

c. अगर किसान दुसरे की जमीन पर खेती कर रहे हो तो ऑनलाईन पंजीकरण हेतु आवश्यक कागजात निम्नवत होगेः- (1) अपना फोटो (2) पहचान पत्र (आधार कार्ड अथवा अन्य मान्यता प्राप्त पहचान पत्र) (3) बैंक पासबुक (4) गेहूँ उत्पादन में उनके द्वारा प्रर्युक्त भूमि का रकवा/क्षेत्रफल से संबंधित स्व-घोषणा पत्र (इस घोषणा पत्र अपने आवास से संबंधित वार्ड सदस्य या पंचायत से किसान सलाहाकार की अनुशंसा अनिवार्य होगी)।

d. सभी क्रय के क्रम में पंजीकृत किसानों की सूची से मिलान सुनिश्चित करना तथा सत्यापित कराना।

e. सभी क्रय के क्रम में पंजीकृत किसानों की सूची से मिलान सुनिश्चित करना। जो किसान अपनी जमीन पर खेती नहीं करते है वेसे किसानों के ऑनलाईन पंजीयन हेतु भूमि की विवरणी के साथ फोटोग्राफ पहचान पत्र के आधार पर आवेदन प्राप्त कर वैसे किसान के द्वारा खेती की जाने वाली भूमि एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र का किसान सलाहकार से सत्यापन के उपरांत ऑन-लाईन रजिस्ट्रेशन कराना है।

f. रब्बी विपणन मौसम 2017-18 अंतर्गत साफ सुथरे एवं सुखे हुए गेहूँ जिसकी नमी की मात्रा (Moisture) 12 से 14 प्रतिशत, Foreign Matter-0.75%,Damaged grains-2%,Slightly damaged grain-4%,Shrivelled & Broken grains-6% and Other foodgrains-2% हो,की अधिप्राप्ति की जाय।

12 अधिप्राप्ति कार्य में जिला पदाधिकारी की भूमिका

- जिलान्तर्गत अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की पूर्ण जिम्मेदारी।-
- क्रय केंद्रो का निरीक्षण कर वास्तविक किसानों से गेहूँ का क्रय सुनिश्चित करना।
- जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स की साप्ताहिक बैठक आयोजित कर भारतीय खाद्य निगम के प्रतिनिधि जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक।
- पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा एवं बिहार राज्य खाद्य निगम से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त करना एवं मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/प्रधान सचिव,खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सहकारिता विभाग को दैनिक प्रतिवेदन भेजना।
- बिहार राज्य खाद्य निगम को गेहूँ संग्रहण केंद्र की स्थापना,भंडारण एवं परिवहन हेतु आवश्यकतानुसार अनुभवी एवं आरोपरहित कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना।
- सहकारिता विभाग के सभी पदाधिकारी बिहार राज्य खाद्य निगम के सहायक प्रबंधकों एवं कुछ मुख्य पैक्सों/व्यापार मंडलों के साथ मासिक बैठक कर अधिप्राप्ति कार्य की समीक्षा करना।
- राज्य मुख्यालय से संपर्क बनाये रखना।

13 अधिप्राप्ति कार्य में पुलिस अधीक्षक की भूमिका

- क्रय केंद्रों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना।

14 अधिप्राप्ति कार्य में बिहार राज्य खाद्य निगम की भूमिका

- पैक्स/व्यापार मंडल से गेहूँ प्राप्त करने हेतु अनुमंडल स्तर पर आवश्यकता के अनुरूप गेहूँ संग्रहण केंद्र खोलना।
- प्रतिदिन गेहूँ संग्रहण केंद्रों पर क्रय किये गये गेहूँ से संबंधित प्रतिवेदन विभाग,मुख्य सचिव एवं आयुक्त को भेजना।
- पैक्स/व्यापार मंडलों को भुगतान हेतु आवश्यक व्यवस्था एवं लेखा का संधारण करना।
- गन्नी बैग्स की व्यवस्था--पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा गेहूँ अधिप्राप्ति के क्रम में यदि गन्नी बैग्स की मांग की जाती है तो राज्य खाद्य निगम द्वारा Phasewise आवश्यकतानुसार गन्नी बैग्स उपलब्ध कराना।
- अधिप्राप्ति कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रशिक्षण देना।

15 अधिप्राप्ति कार्य में सहकारिता विभाग की भूमिका

- अधिप्राप्ति कार्य हेतु सक्षम पैक्सों/व्यापार मंडलों (अप्रमादी) का चयन करना।
- सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों यथा प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, अंकेक्षण पदाधिकारी,जिला सहकारिता पदाधिकारी,सहायक निबंधक इत्यादि को अधिप्राप्ति कार्य हेतु दायित्व निर्धारित करना एवं इनके द्वारा निरीक्षण हेतु मापदंड निर्धारित करना।
- पैक्सों/ व्यापार मंडल का सुचारूपूर्वक संचालन सुनिश्चित करना।
- अधिप्राप्ति कार्य गेहूँ के क्रय–विक्रय का प्रति दिन प्रतिवेदन प्राप्त करना और विभाग को मोबाईल एप्स (Mobile App) पर अधिप्राप्ति गेहूँ से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध करवाना।
- पैक्स/व्यापार मंडल को कॉ–ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से निधि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना ताकि किसानों को तत्काल RTGS/NEFT से ऑनलाईन भुगतान हो सके।
- निदेशालय स्तर से जिलों में चल रहे अधिप्राप्ति कार्य के पर्यवेक्षण हेतु पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करना।
- पैक्स/व्यापार मंडलों अध्यक्षों/प्रबंधकों का अधिप्राप्ति,बैक संचालन आदि बिन्दुओं पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करना।
- वैसे जिले जहां सहकारी बैंक नही हैं। वहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन करवाना।
- बिस्कोमान के पास उपलब्ध संरचना यथा गोदाम आदि को अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम को अविलंब उपलब्ध कराना।

16 अधिप्राप्ति कार्य में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की भूमिका

- विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि बिहार राज्य खाद्य निगम अधिप्राप्ति कार्य से संबंधित सभी कार्रवाई कुशलता एवं पारदर्शी ढंग से करे।
- नोडल विभाग की हैसियत से अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न विभिन्न अभिकरणों तथा विभागों के बीच समन्वय का कार्य करना ।
- प्रतिदिन सहकारिता विभाग एवं बिहार राज्य खाद्य निगम अधिप्राप्ति से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त कर संकलित प्रतिवेदन मुख्य सचिव, विकास आयुक्त एवं मुख्य मंत्री सचिवालय को भेजना।
- बिहार राज्य खाद्य निगम को अधिप्राप्ति कार्य हेतु आवश्यक निधि उपलब्ध कराना।

17. जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव की भूमिका

- प्रत्येक माह में दो दिन अपने संबंद्ध जिले का भ्रमण कर अधिप्राप्ति कार्य की गहन समीक्षा करना एवं ज़िलो के प्रभारी माननीय मंत्री ,मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त तथा विभाग को मंतव्य सहित प्रतिवेदन समर्पित करना।

18. **प्रमंडलीय आयुक्त की भुमिका**

- प्रत्येक सप्ताह अपने संबंद्ध जिले का भ्रमण कर किसानों से बातचीत करना, अधिप्राप्ति कार्य की गहना समीक्षा करना एवं जिलों के प्रभारी माननीय मंत्री मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त तथा विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करना।

19. **जिला पदाधिकारियों की विशेष शक्तियाँ**

- अधिप्राप्ति कार्य के लिए जिला पदाधिकारी किसी भी विभाग के पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कर सकेंगे।

20. **अवकाश पर प्रतिबंध**

- अधिप्राप्ति की अवधि में इस कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा। अत्यंत आवश्यक होने पर एक स्तर उपर से पूर्वानुमति प्राप्त कर अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। चूंकि सरकार का यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है एवं राज्य सरकार गेहूँ/चावल अधिप्राप्ति कार्यक्रम को सघन अभियान के रूप में संचालित करने तथा किसानों को न्यूत्तम समर्थन मूल्य कराने हेतु संकल्पित है। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय एवं ऐसी व्यवस्था किया जाय कि राज्य के सभी किसानों को बिना किसी कठिनाई के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ क्रय के तुरंत बाद मिल सके एवं उन्हे अपनी उपज की आलात बिक्री (Distress Sale) की स्थिति का सामना नही करना पड़े। इस संबंध में किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही एवं शिथिलता को अति गंभीरता से लिया जायेगा।

ह0/–
जिला पदाधिकारी
नवादा।

ज्ञापांक– XV-07/2017/383 खाद्य, नवादा, दिनांक 19/04/2017 ई0।

प्रतिलिपिः– सभी प्रतिनियुक्त कर्मियों/पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला प्रबंधक (अधिप्राप्ति) नवादा/जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम नवादा/सभी गोदाम प्रबंधक राज्य खाद्य निगम नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी नवादा जिला/सभी अंचल अधिकारी नवादा जिला/सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नवादा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला कृषि पदाधिकारी नवादा/जिला सहकारिता पदाधिकारी नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर/रजौली/सभी प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी नवादा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता नवादा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी
नवादा।

परिशिष्ट – I

कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा

Telephone/Fax No: 06324-210745 email-id-dao-naw-bih@nic.in

पत्रांक ......674...... / नवादा, दिनांक 11.04.2017

प्रेषक,

जिला कृषि पदाधिकारी
नवादा।

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
नवादा।

विषयः– **रब्बी वर्ष 2016–17 में प्रखण्डवार, पंचायतवार गेहूँ का सम–संभावित उत्पादन संबंधित प्रतिवेदन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सूचित करना है कि रब्बी 2016–17 में प्रखण्डवार, पंचायतवार सम–संभावित गेहूँ उत्पादन से संबंधित प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन

11/04/17

जिला कृषि पदाधिकारी
नवादा।

11/04/17

D/r/suresh ji letter 2017

कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।

रब्बी वर्ष 2016–17 में गेहूँ का पंचायतवार अच्छादन एवं सम–संभावित उत्पादन (प्रति एकड़)

जिला– नवादा

क्र0सं0	प्रखण्ड का नाम	कुल कृषि योग भूमि(एकड़ में)	गेहूँ से आच्छादित रकवा (एकड़ में)	प्रति एकड़ उत्पादन	कुल संभावित गेहूँ का उत्पादन
1	2	3	4	5	6
1	नवादा	30011.00	13262.5	12.480	165537.500
2	वारिसलीगंज	20745.65	11750.0	11.709	137585.000
3	काशीचक	16656.58	5200.0	11.88	61772.500
4	कौआकोल	28277.70	11000.0	15.08	165917.500
5	पकरीबरावाँ	20001.00	11662.5	12.028	140278.000
6	रोह	31055.00	9912.5	8.441	83679.350
7	अकबरपुर	35916.30	14650.0	12.97	190025.00
8	गोविन्दपुर	11307.00	6500.0	10.30	66950.00
9	रजौली	18067.50	11725.0	13.12	153799.92
10	सिरदला	19024.00	11012.5	31.64	348480.13
11	मेसकौर	14099.50	7450.0	11.26	83895.00
12	नरहट	16058.00	7550.0	10.92	82450.00
13	हिसुआ	12950.00	7750.0	11.51	89182.80
14	नारदीगंज	25820.06	8050	12.05	97008.40
	कुल योगः–	**299989.29**	**137475.0**	**13.57746**	**1866561.10**

जिला कृषि पदाधिकारी
नवादा।

D:\RAVINDRA\SURESH JI ALL FILE\RABBI CROP CUTTING PRAKHAND-PANCHAYATWAR 16-17 FINAL

कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।

रब्बी वर्ष 2016–17 में गेहूँ का पंचायतवार आच्छादन एवं सम–संभावित उत्पादन (प्रति एकड़)

प्रखण्ड– नवादा

क्र0सं0	पंचायत का नाम	कुल कृषि योग भूमि (एकड़ में)	गेहूँ से आच्छादित रकवा (एकड़ में)	प्रति एकड़ उत्पादन (क्विं0) में	कुल संभावित गेहूँ का उत्पादन (क्विं0) में
1	2	3	4	5	6
1	भदोखरा	1566	875	13.50	11812.50
2	भदौनी	880	262.5	10.50	2756.25
3	भगवानपुर	2101	625	13.25	8281.25
4	देदौर	1547	625	12.50	7812.50
5	गोनावां	2327	750	12.00	9000.00
6	जमूआवां	1373	625	13.50	8437.50
7	झुनाठी	1456	625	12.00	7500.00
8	कादिरगंज	2240	625	12.00	7500.00
9	ऑति	1110	750	11.50	8625.00
10	केना	1718	875	12.25	10718.75
11	खरॉट	1607	875	12.00	10500.00
12	लोहरपुरा	1370	625	10.75	6718.75
13	महूली	1516	750	13.00	9750.00
15	ननौरा	1380	625	12.50	7812.50
16	ओरैना	1411	1000	13.00	13000.00
17	पौरा	1878	625	11.00	6875.00
18	समाय	2682	1250	14.00	17500.00
19	सोनसिहारी	1849	875	12.50	10937.50
	कुल योगः–	**30011**	**13262.5**	**12.48162**	**165537.50**

जिला कृषि पदाधिकारी
नवादा।

कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।

रब्बी वर्ष 2016–17 में गेहूँ का पंचायतवार आच्छादन एवं सम–संभावित उत्पादन (प्रति एकड़)

प्रखण्ड-- वारिसलीगंज

क्र0सं0	पंचायत का नाम	कुल कृषि योग भूमि(एकड़) में	गेहूँ से आच्छादित रकवा (एकड़) में	प्रति एकड़ उत्पादन (क्विं0) में	कुल संभावित गेहूँ का उत्पादन (क्विं0) में
1	2	3	4	5	6
1	अपसढ़	999	487.50	11.80	5752.50
2	बाघी बरडीहा	1351	787.50	12.00	9450.00
3	वरनावॉ	1392	837.50	12.20	10217.50
4	चकवाय	926	537.50	11.40	6127.50
5	दोसूत	2105	1162.50	11.20	13020.00
6	हाजीपुर	868	487.50	11.60	5655.00
7	कोचगॉव	1060	600.00	11.20	6720.00
8	कुटरी	1649.65	912.50	12.20	11132.50
9	मंजौर	897	387.50	11.80	4572.50
10	मकनपुर	1110	625.00	11.60	7250.00
11	मोसमा	1001	587.50	12.00	7050.00
12	मोहिउद्दीनुपर	700	412.50	11.40	4702.50
13	पैंगरी	1588	925.00	11.60	10730.00
14	शाहपुर	847	500.00	11.40	5700.00
15	सौर	1220	712.50	11.80	8407.50
16	ठेरा	1532	900.00	12.20	10980.00
17	नगर पंचायत	1500	887.50	11.40	10117.50
	कुल योगः–	**20745.65**	**11750.00**	**11.70936**	**137585.00**

जिला कृषि पदाधिकारी
नवादा।

कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।

रब्बी वर्ष 2016–17 में गेहूँ का पंचायतवार आच्छादन एवं सम–संभावित उत्पादन (प्रति एकड़)

प्रखण्ड– काशीचक

क्र0सं0	पंचायत का नाम	कुल कृषि योग भूमि(एकड़ में)	गेहूँ से आच्छादित रकवा (एकड़ में)	प्रति एकड़ उत्पादन (क्विं0) में	कुल संभावित गेहूँ का उत्पादन (क्विं0) में
1	2	3	4	5	6
1	वेलड़	3366.25	785	11.80	9263.00
2	खखरी	3406.05	795	12.10	9619.50
3	विरनावॉ	3045.86	755	11.60	8758.00
4	पार्वती	1524.27	690	10.40	7176.00
5	खेरा जगदीशपुर	1672.71	705	12.80	9024.00
6	चण्डीनावॉ	1662.13	730	12.40	9052.00
7	सुभान्पुर	1979.31	740	12.00	8880.00
	कुल योगः–	**16656.58**	**5200**	**11.87933**	**61772.50**

जिला कृषि पदाधिकारी,
नवादा।

कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।

रब्बी वर्ष 2016–17 में गेहूँ का पंचायतवार आच्छादन एवं सम–संभावित उत्पादन (प्रति एकड़)

प्रखण्ड–– कौआकोल

क्र0सं0	पंचायत का नाम	कुल कृषि योग भूमि (एकड़ में)	गेहूँ से आच्छादित रकवा (एकड़ में)	प्रति एकड़ उत्पादन (क्विं0) में	कुल संभावित गेहूँ का उत्पादन (क्विं0) में
1	2	3	4	5	6
1	सेखोदेवरा	2113.5	865	15.50	13407.50
2	कौआकोल	1795.3	615	14.00	8610.00
3	छवैल	2150.8	720	16.80	12096.00
4	सरौनी	1690	525	15.00	7875.00
5	देवनगढ़	2215	887	16.00	14192.00
6	नावाडीह	1942	788	14.50	11426.00
7	पाली	2261.9	912	15.50	14136.00
8	दरावाँ	1617.5	613	15.00	9195.00
9	खड़सारी	1705.3	675	14.50	9787.50
10	पाण्डेय गंगौट	1917.5	835	13.50	11272.50
11	केवाली	1609.5	695	14.50	10077.50
12	मंझीला	1540.3	670	15.00	10050.00
13	पहाड़पुर	1951.2	645	16.00	10320.00
14	लालपुर	2013.5	925	15.50	14337.50
15	महुडर	1754.4	630	14.50	9135.00
कुल योगः–		**28277.7**	**11000**	**15.08341**	**165917.50**

11/04/17

जिला कृषि पदाधिकारी,
नवादा।

कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।

रब्बी वर्ष 2016–17 में गेहूँ का पंचायतवार आच्छादन एवं सम–संभावित उत्पादन (प्रति एकड़)

प्रखण्ड– पकरीबरावॉ

क्र0सं0	पंचायत का नाम	कुल कृषि योग भूमि(एकड़ में)	गेहूँ से आच्छादित रकवा (एकड़ में)	प्रति एकड़ उत्पादन (क्विं0) में	कुल संभावित गेहूँ का उत्पादन (क्विं0) में
1	2	3	4	5	6
1	कबला	1265	732.5	11.720	8584.90
2	बुधौली	1108	645.0	11.520	7430.40
3	गुलनी	1358	787.5	12.032	9475.20
4	ज्यूरी	1302	757.5	12.488	9459.66
5	एरूरी	1668	845.0	12.224	10329.28
6	कोनन्दपुर	1003	635.0	11.416	7249.16
7	बेलखुंण्डा	1235	720.0	12.540	9028.80
8	उकौड़	1522	787.5	12.032	9475.20
9	पकरीबरावॉ उ0	929	540.0	11.752	6346.08
10	पकरीबरावॉ द0	1122	652.5	11.488	7495.92
11	पोक्सी	1442	840.0	12.264	10301.76
12	दत्तरौल	1463	852.5	11.984	10216.36
13	डुमरावॉ	1292	755.0	13.024	9833.12
14	धेवधा	1648	960.0	12.488	11988.48
15	धमौल	525	475.0	11.368	5399.80
16	ढोढ़ा	1119	677.5	11.312	7663.88
		20001	**11662.5**	**12.02812**	**140278.00**

जिला कृषि पदाधिकारी,
नवादा।

कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।

रब्बी वर्ष 2016–17 में पंचायतवार गेहूँ का अच्छादन एवं सम–संभावित उत्पादन (प्रति एकड़)

प्रखण्ड– रोह

क्र0सं0	पंचायत का नाम	कुल कृषि योग भूमि(एकड़ में)	गेहूँ से आच्छादित रकवा (एकड़ में)	प्रति एकड़ उत्पादन (क्विं0) में	कुल संभावित गेहूँ का उत्पादन (क्विं0) में
1	2	3	4	5	6
1	मरुई	1970	625	9.500	5937.500
2	डुमरी	2300	688	8.200	5641.600
3	कुंज	1600	538	8.600	4626.800
4	ओहारी	1825	575	9.200	5290.000
5	नजरडीह	2010	650	8.750	5687.500
6	रोह	1400	425	8.525	3623.125
7	समरीगढ़	1000	325	9.100	2957.500
8	मोरमा	2330	725	9.250	6706.250
9	मड़रा	1950	625	8.850	5531.250
10	भट्टा	1505	425	7.750	3293.750
11	सिउर	3300	1037	8.100	8399.700
12	छनौन	4360	1425	7.725	11008.125
13	कोशीरुखी	3185	1075	8.200	8815.000
14	भीखमपुर	2320	774.5	7.950	6157.275
कुल योगः–		**31055**	**9912.5**	**8.44140**	**83675.375**

जिला कृषि पदाधिकारी,
नवादा।

कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।

रब्बी वर्ष 2016–17 में गेहूँ का पंचायतवार आच्छादन स एवं सम–संभावित उत्पादन (प्रति एकड़)

प्रखण्ड– अकबरपुर

क्र0सं0	पंचायत का नाम	कुल कृषि योग भूमि(एकड़ में)	गेहूँ से आच्छादित रकवा (एकड़ में)	प्रति एकड़ उत्पादन (क्विं0) में	कुल संभावित गेहूँ का उत्पादन (क्विं0) में
1	2	3	4	5	6
1	पचगावाँ	1972.5	702.5	14.50	10186.25
2	बड़ैल	2340	832.5	13.20	10989.00
3	सकरपुरा	2302.5	857.5	12.50	10718.75
4	तेयार	2137.5	832.5	11.80	9823.50
5	बलिया बुजुर्ग	707.5	532.5	12.50	6656.25
6	भनैल लोदीपुर	1775	782.5	13.80	10798.50
7	लेदहा	2115	832.5	12.40	10323.00
8	बुंधुआ	2547.5	912.5	13.60	12410.00
9	पौंती	2158.8	832.5	14.40	11988.00
10	कुलना	1842.5	732.5	12.80	9376.00
11	बकसण्डा	2347.5	807.5	11.80	9528.50
12	पचरूखी	1505	457.5	13.80	6313.50
13	परतो करहरी	1540	452.5	12.80	5792.00
14	माखर	1677.5	482.5	13.60	6562.00
15	फतेहपुर	1922.5	782.5	11.80	9233.50
16	बरेव	760	457.5	12.60	5764.50
17	फरहा	917.5	532.5	13.80	7348.50
18	मलिकपुर नेमदारगंज	1412.5	932.5	12.60	11749.50
19	पैजूना	2482.5	1032.5	12.50	12906.25
20	गोविन्द विगहा	1452.5	862.5	13.40	11557.50
		35916.3	**14650.0**	**12.97099**	**190025.00**

11/04/17

जिला कृषि पदाधिकारी,
नवादा।

कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।

रब्बी वर्ष 2016–17 में गेहूँ का पंचायतवार आच्छादन एवं सम–संभावित उत्पादन (प्रति एकड़)

प्रखण्ड– गोविन्दपुर

क्र0सं0	पंचायत का नाम	कुल कृषि योग भूमि(एकड़ में)	गेहूँ से आच्छादित रकवा (एकड़ में)	प्रति एकड़ उत्पादन (क्विं0) में	कुल संभावित गेहूँ का उत्पादन (क्विं0) में
1	2	3	4	5	6
1	गोविन्दपुर	1148	800	10.20	8160.00
1	विशुनपुर	1055	750	10.50	7875.00
2	सरकण्डा	1098	700	11.40	7980.00
3	बनिया विगहा	1661	700	9.80	6860.00
4	बुधवारा	1075	800	10.40	8320.00
5	माधोपुर	1093	750	10.20	7650.00
6	सुघड़ी	1098	700	9.50	6650.00
7	बकसोती	1998	650	10.20	6630.00
8	भवनपुर	1081	650	10.50	6825.00
9					
	कुल योगः–	**11307**	**6500**	**10.30000**	**66950.00**

11/04/17

जिला कृषि पदाधिकारी
नवादा।

कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।

रब्बी वर्ष 2016–17 में गेहूँ का पंचायतवार आच्छादन एवं सम–संभावित उत्पादन (प्रति एकड़)

प्रखण्ड– रजौली

क्र0सं0	पंचायत का नाम	कुल कृषि योग भूमि (एकड़ में)	गेहूँ से आच्छादित रकवा (एकड़ में)	प्रति एकड़ उत्पादन (क्विं0) में	कुल संभावित गेहूँ का उत्पादन (क्विं0) में
1	2	3	4	5	6
1	अमावाँ पूर्वी	1033.1	832.8	14.40	11992.32
2	अमावाँ पश्चिमी	1058.55	822.8	13.50	11107.80
3	अंधरवारी	930.6	732.8	12.80	9379.84
4	बहादुरपुर	1197.2	832.8	13.60	11326.08
5	चितरकोली	695.23	510.8	14.80	7559.84
6	धमनी	1301.43	710.8	12.80	9098.24
7	फरक्का बुजुर्ग	1765.48	832.8	13.50	11242.80
8	हरदिया	1967.58	852.8	14.20	12109.76
9	जोगियामारण	1612.98	832.8	12.60	10493.28
10	लेंगुरा	1248.38	732.8	13.80	10112.64
11	मुरहेना	736.38	510.8	12.60	6436.08
12	रजौली पूर्वी	848.6	732.8	11.80	8647.04
13	रजौली पश्चिमी	884.03	700.8	12.60	8830.08
14	सवैयाटॉड़	1339.03	832.8	13.80	11492.64
15	सिरोडावर	988.08	832.8	10.80	8994.24
16	टकुआटॉड़	460.85	421.0	11.80	4967.80
	कुल योगः–	**18067.5**	**11725.0**	**13.11646**	**153790.48**

जिला कृषि पदाधिकारी
नवादा।

कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।

रब्बी वर्ष 2016–17 में गेहूँ का पंचायतवार आच्छादन एवं सम–संभावित उत्पादन (प्रति एकड़)

प्रखण्ड– सिरदला

क्र0सं0	पंचायत का नाम	कुल कृषि योग भूमि (एकड़ में)	गेहूँ से आच्छादित रकवा (एकड़ में)	प्रति एकड़ उत्पादन (क्विं0) में	कुल संभावित गेहूँ का उत्पादन (क्विं0) में
1	2	3	4	5	6
1	राजन	1964	764.5	32.25	24655.125
2	खनपुरा	1192.5	892.5	33.50	29898.75
3	उपरडीह	1242.5	711.5	30.50	21700.75
4	अब्दूल	725	525.5	28.50	14976.75
5	सिरदला	1262.5	721.0	33.00	23793.00
6	घघट	1225	610.5	32.50	19841.25
7	खटॉगी	1050	825.5	25.50	21050.25
8	चौबे	1280	627.5	33.50	21021.25
9	धिरौंध	1227.5	811.5	30.00	24345.00
10	चौकिया	1122.5	610.5	31.50	19230.75
11	बांधी	1250	655.5	33.50	21959.25
12	अकौना	1175	945.5	29.50	27892.25
13	बड़गॉव	1277.5	658.5	34.50	22718.25
14	साढ़ मंझगॉव	1800	815.5	32.50	26503.75
15	लौन्द	1230	837.0	34.50	28876.5
कुल योगः–		**19024**	**11012.5**	**31.64249**	**348462.88**

जिला कृषि पदाधिकारी
नवादा।

कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।

रब्बी वर्ष 2016–17 में गेहूँ पंचायतवार आच्छादन एवं सम–संभावित उत्पादन

प्रखण्ड–– मेसकौर

क्र0सं0	पंचायत का नाम	कुल कृषि योग भूमि(एकड़ में)	गेहूँ से आच्छादित रकवा (एकड़ में)	प्रति एकड़ उत्पादन (क्विं0) में	कुल संभावित गेहूँ का उत्पादन (क्विं0) में
1	2	3	4	5	6
1	अंकरीपाडे विगहा	1121.0	775.00	12.00	9300.00
2	बीजु विगहा	1106.5	800.00	12.00	9600.00
3	बड़ोसर	1835.5	687.50	10.00	6875.00
4	बारत	1121.5	812.50	12.00	9750.00
5	तेतरीया	2036.0	700.00	10.00	7000.00
6	मिर्जापुर	1400.5	787.50	12.00	9450.00
7	विसीआईत	1482.0	675.00	10.00	6750.00
8	मेसकौर	1351.5	687.50	10.00	6870.00
9	सहवाजपुर सराय	1596.5	737.50	12.00	8850.00
10	रसलपुरा	1048.5	787.50	12.00	9450.00
	कुल योगः–	**14099.5**	**7450**	**11.26183**	**83895.00**

जिला कृषि पदाधिकारी,
नवादा।

कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।

रब्बी वर्ष 2016–17 में गेहूँ का पंचायतवार आच्छादन एवं सम–संभावित उत्पादन (प्रति एकड़)

प्रखण्ड– नरहट

क्र0सं0	पंचायत का नाम	कुल कृषि योग भूमि(एकड़ में)	धान से आच्छादित रकवा (एकड़ में)	प्रति एकड़ उत्पादन (क्विं0) में	कुल संभावित धान का उत्पादन (क्विं0) में
1	2	3	4	5	6
1	नरहट	1750	850	11.20	9520.0
2	जमुआरा	1685	775	10.80	8370.0
3	पुंथर	1812	875	11.00	9625.0
4	खनवॉ	1794	825	11.30	9322.5
5	कोनीवर	1813	875	10.90	9537.5
6	सैदापुर गोवासा	1594	700	10.80	7560.0
7	शेखपुरा	1287	600	10.60	6360.0
8	पालीखुर्द	1486	700	11.20	7840.0
9	वभनौर	1385	650	10.50	6825.0
10	पुनौल	1452	700	10.70	7490.0
कुल योगः–		**16058**	**7550**	**10.92053**	**82450.0**

जिला कृषि पदाधिकारी,
नवादा।

कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।

रब्बी वर्ष 2016–17 में गेहूँ का पंचायतवार आच्छादन एवं सम–संभावित उत्पादन (प्रति एकड़)

प्रखण्ड– हिसुआ

क्र0सं0	पंचायत का नाम	कुल कृषि योग भूमि(एकड़ में)	गेहूँ से आच्छादित रकवा (एकड़ में)	प्रति एकड़ उत्पादन (क्विं0) में	कुल संभावित गेहूँ का उत्पादन (क्विं0) में
1	2	3	4	5	6
1	छतिहर	1645	945	12.0	11340.00
2	धनवॉ	1272.5	762	12.2	9296.40
3	चितरघट्टी	1220	937	12.2	11431.40
4	बगोदर	1385	780	12.2	9516.00
5	कैथिर	1402.5	805	11.0	8855.00
6	तुंगी	887.5	488	10.5	5124.00
7	पचाढ़ा	1035	755	11.8	8909.00
8	हदसा	1635	880	11.4	10032.00
9	सोनसा	1222.5	695	10.5	7297.50
10	दोना	1245	703	10.5	7381.50
	कुल योगः–	**12950**	**7750**	**11.50746**	**89182.80**

11/04/17

जिला कृषि पदाधिकारी,
नवादा।

कार्यालय, जिला कृषि पदाधिकारी, नवादा।

रब्बी वर्ष 2016–17 में गेहूँ का पंचायतवार आच्छादन एवं सम–संभावित उत्पादन (प्रति एकड़)

प्रखण्ड– नारदीगंज

क्र0सं0	पंचायत का नाम	कुल कृषि योग भूमि(एकड़ में)	गेहूँ से आच्छादित रकवा (एकड़ में)	प्रति एकड़ उत्पादन (क्विं0) में	कुल संभावित गेहूँ का उत्पादन (क्विं0) में
1	2	3	4	5	6
1	कोशला	2003.26	1055.00	13.00	13715.00
2	परमा	2228.78	1170.00	11.00	12870.00
3	कहुआरा	1926.66	496.71	12.00	5960.52
4	मसौढ़ा	1964.06	426.92	12.00	5123.04
5	डोहड़ा	2899.17	433.08	13.00	5630.04
6	पेश	2548.03	1268.45	13.00	16489.85
7	ओड़ो	2815.15	1044.73	11.00	11492.03
8	इचुआकरना	3022.25	1030.37	12.00	12364.44
9	नारदीगंज	1244.17	314.00	11.00	3454.00
10	ननौरा	1824.08	180.62	13.00	2348.06
11	हड़िया	3344.45	630.12	12.00	7561.44
	कुल योगः–	**25820.06**	**8050.00**	**12.05074**	**97008.42**

11/04/17

जिला कृषि पदाधिकारी,
नवादा।

परिशिष्ट– II

प्रत्येक प्रखड में अधिप्राप्ति कार्य का नियमित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति संबंधी विवरणी ।

क्रमांक	प्रखंड का नाम	प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम/पदनाम	मोबाईल नं0
1	2	3	4
1	नवादा	श्री राजेश कुमार अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा।	9473191258
		अंचल अधिकारी, नवादा।	7250543707
2	वारिसलीगंज	श्री नंद किशोर चौधरी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, नवादा।	8544412359
		अंचल अधिकारी, वारिसलीगंज।	8544412716
3	काशीचक	श्री सतीश कुमार झा,जिला पंचायती राज पदाधिकारी	9431406784
		अंचल अधिकारी, काशीचक।	8544412711
4	पकरीबरावाँ	सुश्री मंजुषा चंद्रा वरीय उप समाहर्त्ता, नवादा।	9431662566
		अंचल अधिकारी, पकरीबरावाँ।	8544412715
5	कौआकोल	श्री कृष्ण मुरारी कार्यपालक पदा0 नगर परिषद नवादा।	8809560122
		अंचल अधिकारी, कौआकोल।	9430993695
6	रोह	मो0 शिवगतुल्ला, वरीय उप समाहर्त्ता, नवादा।	9334878850
		अंचल अधिकारी, रोह।	9431445531
7	नारदीगंज	श्रीमति अनुपमा कुमारी, वरीय उप समाहर्त्ता, नवादा।	9471985947
		अंचल अधिकारी, नारदीगंज।	9835804087
8	हिसुआ	श्री मुकेश रंजन, वरीय उप समाहर्त्ता,नवादा	8084907450
		अंचल अधिकारी, हिसुआ।	9431466278
9	मेसकौर	श्री अखिलेश कुमार भूमि सुधार उप समाहर्त्त, रजौली।	9798493061
		अंचल अधिकारी, मेसकौर।	9431519731
10	नरहट	श्री हरेन्द्र राम,जिला भू–अर्जन पदाधिकारी नवादा।	9472980337
		अंचल अधिकारी, नरहट।	9430266516
11	सिरदला	श्री शंभु शरण पांडेय अनुमंडल पदाधिकारी, रजौली।	9473191259
		अंचल अधिकारी, सिरदला।	9430254185
12	रजौली	श्री आनंद प्रकाश अनु0 लोक शिका0 निवा0पदा0, रजौली।	9431023541
		अंचल अधिकारी, रजौली।	9431685311
13	गोविन्दपुर	श्री ब्रजेश कुमार जिला परिवहन पदाधिकारी नवादा।	9430458077
		अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर।	9204156678
14	अकबरपुर	श्रीमति वीणा प्रसाद निदेशक लेखा प्रशासन,नवादा।	9431220877
		अंचल अधिकारी, अकबरपुर।	9431638082